

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) वायतु

चेतराम कोरा बनाम किशनाराम कोरा

किस्म मुकदमा रा. डावेदन 111, 128 RLR नं. 200/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/05/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/06/2022 को पेश हो।</p>	
21/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय, समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण, प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जांकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक फिल्टर (EDC)
बायतु
जिला - बाडमेर

न्यायालय उपर
क्रमांक: वा.र. / 2022 / 997
प्रार्थी
कोलनराय प
2
जिला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 997

दिनांक : 21/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चेतनराम पुत्र गोमाराम,
2. दीपाराम पुत्र गोमाराम,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. किशनाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 200/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लापला, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 494 रकबा 0.2023 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 21/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 998 - 1002
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री चेतनराम पुत्र गोमाराम वगैरा 02,
5. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 09,
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर